

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय),

जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 133/2005(आरसीएमएस संख्या : 2005/00051)

सरकार जरिये तहसीलदार, फागी, जिला-जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. रामनारायण पुत्र श्री जोधिया, जाति-बलाई, निवासी-चित्तौडा, तहसील-फागी।
2. रामगोपाल पुत्र श्री चन्दा, जाति-बलाई, निवासी-चित्तौडा, तहसील-फागी।
3. सीताराम पुत्र श्री चन्दा, जाति-बलाई, निवासी-चित्तौडा, तहसील-फागी।
4. रामजीवण पुत्र श्री चन्दा, जाति-बलाई, निवासी-चित्तौडा, तहसील-फागी। (मृतक)
5. प्रभाती पत्नी स्व० श्री चन्दा, जाति-बलाई, निवासी-चित्तौडा, तहसील-फागी(मृतक)
 - 5/1 रामगोपाल पुत्र श्री चन्दा, जाति-बलाई, निवासी-चित्तौडा, तहसील-फागी।
 - 5/2 सीताराम पुत्र श्री चन्दा, जाति-बलाई, निवासी-चित्तौडा, तहसील-फागी।
 - 5/3 रामजीवण पुत्र श्री चन्दा, जाति-बलाई, निवासी-चित्तौडा, तहसील-फागी, जिला-जयपुर। (मृतक)
 - 5/3/1 मीरा पत्नी स्व० श्री रामजीवण, जाति-बलाई, निवासी-चित्तौडा, तहसील-फागी, जिला-जयपुर।
 - 5/3/2 रामस्वरूप पुत्र स्व० श्री रामजीवण, जाति-बलाई, निवासी-चित्तौडा, तहसील-फागी, जिला-जयपुर।
 - 5/3/3 प्रहलाद पुत्र स्व० श्री रामजीवण, जाति-बलाई, निवासी-चित्तौडा, तहसील-फागी, जिला-जयपुर।
 - 5/3/4 चन्दा पुत्री स्व० श्री रामजीवण, जाति-बलाई, निवासी-चित्तौडा, तहसील-फागी, जिला-जयपुर।
6. गोविन्दा पुत्र श्री रामदेव, जाति-बलाई, निवासी-चित्तौडा, तहसील-फागी। (मृतक)
 - 6/1 लालाराम पुत्र स्व० श्री गोविन्दा, जाति-बलाई, निवासी-चित्तौडा, तहसील-फागी, जिला-जयपुर।
 - 6/2 कैलास पुत्र स्व० श्री गोविन्दा, जाति-बलाई, निवासी-चित्तौडा, तहसील-फागी, जिला-जयपुर।
 - 6/3 बोदी पत्नी स्व० श्री गोविन्दा, जाति-बलाई, निवासी-चित्तौडा, तहसील-फागी, जिला-जयपुर।
 - 6/4 लादी पुत्री स्व० श्री गोविन्दा, जाति-बलाई, निवासी-चित्तौडा, तहसील-फागी, जिला-जयपुर।
 - 6/5 सजन्ना पुत्री स्व० श्री गोविन्दा, जाति-बलाई, निवासी-चित्तौडा, तहसील-फागी, जिला-जयपुर।
 - 6/6 हरली पुत्री स्व० श्री गोविन्दा, जाति-बलाई, निवासी-चित्तौडा, तहसील-फागी, जिला-जयपुर।
 - 6/7 भगवानी पुत्री स्व० श्री गोविन्दा, जाति-बलाई, निवासी-चित्तौडा, तहसील-फागी, जिला-जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपरिस्थिति :-

प्रेसकार सरकार।

अप्रार्थीगण असालतन/वकालतन अनुपरिस्थित। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।




निर्णय

दिनांक : 24.12.2019

तहसीलदार, फागी द्वारा यह निवेदन किया गया है कि ग्राम-चित्तौडा की आराजी खसरा नं० 1626 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, आ०ख०नं० 1627 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 1628 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 1629 रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 1630 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 1668 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 1669 रकबा 2 बीघा 06 बिस्वा कुल कित्ता 7 रकबा 14 बीघा 08 बिस्वा भूमि माफी मन्दिर कल्याण जी बहतमाम पुजारी मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011-2030 में दर्ज थी जो कालान्तर में बिना किसी वैध आदेश के माफी मन्दिर श्री कल्याण जी बहतमाम पुजारी के बजाय जोधिया व चन्दिया व गोमन्दा पि० रामदेवा, कौम-बलाई साकिन देह के नाम दर्ज हो गई तत्पश्चात् जरिये विरासत नामान्तरकरण संख्या-1139 व नामान्तरकरण संख्या-1140 निजी खातेदारी होकर जमाबन्दी संवत् 2056-2059 में रामनारायण वगैराह के नाम दर्ज है जो पुनः माफी मन्दिर श्री कल्याण जी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान् परोकार सरकार की बहस सुनी गई। विद्वान् परोकार सरकार ने रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011-2030 के कॉलम सं० 04 नाम उपभोक्ता पिता का नाम जाति व निवास स्थान में माफी मन्दिर श्री कल्याण जी बहतमाम पुजारी दर्ज थी जो बिना किसी वैध आदेश के माफी मन्दिर श्री कल्याण जी बहतमाम पुजारी के बजाय जोधिया व चन्दिया व गोमन्दा पि० रामदेवा, कौम-बलाई साकिन देह के नाम दर्ज हो गई तत्पश्चात् जरिये विरासत नामान्तरकरण संख्या-1139 व नामान्तरकरण संख्या-1140 निजी खातेदारी होकर जमाबन्दी संवत् 2056-2059 में रामनारायण वगैराह के नाम दर्ज है। जो अनुचित हैं और बिना वैध और बिना सक्षम आदेशों के किया गया हस्तान्तरण प्रारम्भ से शून्य होने से काबिले निरस्त हैं। मन्दिर/मूर्ति शाश्वत नाबालिग है, शाश्वत नाबालिग के हितों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है। नाबालिग स्वयं काश्त करने में असमर्थ है, अतः उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों को आराजी काश्त पर दी जा सकती है और यदि मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी अन्य को खातेदारी अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो गये है तो वह प्रभाव शून्य



माने जावेंगे अतः इन्द्राजों को निरस्त कर विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी मन्दिर श्री कल्याण जी के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

हमने पेरोकार सरकार की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) भू-प्रबन्ध (सेटलमेन्ट विभाग) के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादग्रस्त आराजी सम्वत् 2011-2030 में माफी मन्दिर श्री कल्याण जी बहतमाम पुजारी दर्ज हैं और वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की स्थिति तय करने के लिए जमाबन्दी एक मुख्य एवं विधिक दस्तावेज हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत् नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की आराजी का हस्तान्तरण/विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित हैं। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना किसी वैध अधिकार के नहीं लगाया जा सकता है। विधिक दृष्टि में एक हिन्दू देव मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क हैं। देवमूर्ति की आराजी पर यदि पुजारी अथवा अन्य द्वारा काश्त भी की गई है तो भी खातेदारी अधिकार पुजारी अथवा अन्य को प्राप्त नहीं हो सकते, परन्तु विधि के परिवर्तन से देव मूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। माफी मन्दिर श्री कल्याण जी बहतमाम पुजारी की विवादग्रस्त आराजी को यदि किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा-काश्त भी की गई है तो वह मूर्ति का कब्जा-कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही माना जायेगा और उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार नियमों के विपरित माफी मन्दिर श्री कल्याण जी बहतमाम पुजारी की भूमि का इन्द्राज विभिन्न प्रविष्टियों के परिणामस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2056-2059 में निजी खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी, किसी वैध आदेश के बिना, अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये किया गया इन्द्राज तथा पश्चात्वर्ती इन्द्राज नामान्तरकरण संख्या 1139 एवं नामान्तरकरण संख्या 1140 ग्राम चित्तौडा वादग्रस्त आराजी की सीमा तक प्रारम्भ से शून्य हैं और शून्य प्रभाव अवैध इन्द्राज का राजस्व अभिलेख में से हटाया जाना नितान्त आवश्यक है ऐसी स्थिति में इन इन्द्राजों को निरस्त कर उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी मन्दिर श्री कल्याण जी के नाम लगाये जाने की राय से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेंस स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित है। पक्षकार को दिनांक 11.02.2020 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर